

सं०सं०-03/परी०-BTSC(अधि०)01-04/2025(खण्ड-क) 1969 पटना, दिनांक 23/06/25

बिहार सरकार

**बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना**

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-06/2023 से 18/2023 (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों)

आयोग के पत्रांक-1869, दिनांक-19.06.2025 द्वारा Computer Based Test में योग्य अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की Scrutiny के पश्चात् आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गयी है। जिसमें विज्ञापनवार आपत्ति प्राप्त करने की अवधि अलग से प्रकाशित किये जाने का उल्लेख है।

उक्त के क्रम में निम्न विज्ञापनों हेतु दिनांक-24.06.2025 से 28.06.2025 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित की गयी है:-

क्र० सं०	विज्ञापन संख्या	पदनाम
1	12/2025	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग)
2	13/2025	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग)
3	17/2025	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मनोचिकित्सक)

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक-1869, दिनांक-19.06.2025 में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में आपत्ति (यदि हो तो) दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- शेष विज्ञापनों के अन्तर्गत आपत्ति दर्ज करने की तिथि अलग से निर्धारित कर आवश्यक सूचना आयोग के Website पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग के Website का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे।

अनु०:- यथोक्त।

23/06/25
उप सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-06/2025 से 18/2025 (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों)

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-06/2025 से 18/2025 तक के अन्तर्गत दिनांक-27.04.2025 एवं 28.04.2024 को आयोजित परीक्षा में से कतिपय विज्ञापनों में परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का परीक्षा का अंक आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर दिया गया है।

उक्त विज्ञापनों, जिनका Score Card प्रकाशित किया जा चुका है, के Computer Based Test में योग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों की Online आवेदनों की Scrutiny विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई। अभ्यर्थियों के दावे के अनुरूप Online आवेदन में Upload किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर विज्ञापन के कंडिका-5(i) में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधाक्रम में Scrutiny किया गया। विज्ञापनवार Scrutiny किये गये अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal पर आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जाएगा। अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग के Website का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति प्राप्त करने की अवधि विज्ञापनवार अलग से प्रकाशित की जायेगी।

मेधाक्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके Online आवेदन का Scrutiny आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल Online आवेदन में उनके द्वारा किये गये दावे के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित रहेगी। वैसे विज्ञापन जिसमें CBT परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या कुल विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कम है, वैसे विज्ञापनों में आपत्ति प्राप्त नहीं किया जायेगा।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

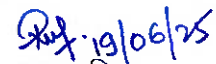
आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, निबंधन प्रमाण-पत्र (सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रविष्टि सहित) एवं इन्टर्नशीप का प्रमाण-पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन के कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/डी०एन०बी० या समकक्ष योग्यता का प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र (यथा- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र) दिनांक-01.04.2025 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
4. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है। कतिपय पदों यथा- ट्यूटर, टेन्योर, सिनियर रेसिडेंट आदि पदों पर किया गया नियोजन संविदा आधारित है, का साक्ष्य (नियोजन की विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश) उपलब्ध कराने पर कार्यानुभव का अंक दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

5. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-04.03.2025 तक की गई है।
6. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-5(iii) के अनुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कंडिका-5(i)(b) में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
7. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
8. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
9. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
10. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
11. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
12. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की पुनः जाँच की जाएगी, आपत्तियों के निष्पादन एवं जाँचोपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा।


उप सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।